

154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 1242-पीबीआर/2017 विरुद्ध आदेश दि. 06-03-2017
पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक
404/अपील/2013-14

राहुल गुप्ता पिता स्व0मदनमोहन गुप्ता
निवासी सी-17/11 महाकाल वाणिज्य केन्द्र
उज्जैन

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी

श्री दिनेश व्यास व श्री ए.आर.यादव, अभिभाषकगण-अपीलार्थी

**** आ दे श ****

(आज दिनांक 20/3/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-3-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः इस अपील को निगरानी में परिवर्तित कर निराकरण किया जा रहा है, इसलिये आगे अपीलार्थी को आवेदक एवं प्रत्यर्थी को अनावेदक कहा जायेगा।



3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा उज्जैन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम मानपुरा तहसील व जिला उज्जैन की भूमि सर्वे नम्बर 84, 81, 80, 113, 114/1, 115/1, 76, 77/1, 79, 78 व 187 से 15,000 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया गया है, जिसकी रायल्टी राशि 2,55,000/- है। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन में रुपये 18,00,000/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-67/2007-08 दर्ज कर दिनांक 29-8-2009 को आदेश पारित कर आवेदक पर रुपये 18,00,000/- शास्ति अधिरोपित कर एक माह में जमा कराने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4-8-2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दि. 28-11-2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। प्रकरण वापिस अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-67/2011-12 दर्ज कर दि. 29-4-2013 को आदेश पारित कर आवेदक पर रुपये 18,00,000/- की शास्ति आरोपित कर 15 दिवस में जमा कराने के आदेश दिये गये। राशि जमा नहीं कराने पर चल-अचल संपत्ति कुर्क करके भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल होने का उल्लेख भी आदेश में किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30-5-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6-3-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।


4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है एवं ना ही आदेश की परिभाषा में आता है। आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी तथा कलेक्टर द्वारा जो आदेश

पारित किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय ने वही आदेश पुनः दोहरा दिया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं उसमें उल्लेखित न्याय दृष्टांत तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई विचार किये बगैर तथा उसका निष्कर्ष निकाले बगैर आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के अंतिम पेटा में यह उल्लेख किया है कि अक्टूबर 2001 में प्रकाशित जारी अधिसूचना के तारतम्य में कलेक्टर की शक्तियाँ उपखंड पदाधिकारी को दी गई हैं ऐसी स्थिति में जो कलेक्टर ने आदेश दिया है वह सही है। यह निष्कर्ष विधान के विपरीत है। इसी प्रकरण में पूर्व में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील कलेक्टर के न्यायालय में की गई थी। कलेक्टर द्वारा अपील को इस आधार पर अनुविभागीय को रिमांड किया गया था कि वह उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर तथा सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर विधिवत् जांच करवाकर आदेश पारित करें किन्तु अपर कलेक्टर के आदेश का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई पालन नहीं किया गया था तथा अवैधानिक आदेश पारित कर दिया था उस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर को अपील सुनने का ही अधिकार था। इस वैधानिक बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार ही नहीं किया है। अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक सुनवाई में ही क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर सुनकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की हैं स्थगन आदेश दिया है तथा रिकार्ड बुलवाया गया है व प्रकरण में अंतिम तर्क सुने हैं तब तक कलेक्टर ने क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं ली है, किन्तु गुण दोष के निराकरण के समय क्षेत्राधिकार का प्रश्न जोड़कर जो आदेश पारित किया गया था कलेक्टर का वह आदेश विधि विधान के विपरीत था ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय की वैधानिक त्रुटि की है।

(3) विधान में यह प्रावधान है कि अगर न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है तो वह सर्वप्रथम उस बिन्दु पर सुनवाई के लिये प्रकरण नियत करता है। कलेक्टर ने इस बिन्दु पर सुनवाई के लिये कोई दिनांक नियत नहीं किया ना ही आपत्ति ली पूर्व में इसी प्रकरण में दिये गये अपील रिमांड आदेश के पालन में इसे सुनवाई योग्य माना। अगर न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है तो उसे निरस्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है जिस प्रकरण में सुनवाई का अधिकार नहीं है, अगर उस प्रकरण को





निरस्त किया जाता हैं तो वह आदेश भी क्षेत्राधिकार के बाहर का होता है । इस वैधानिक बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया हैं जबकि क्षेत्राधिकार के आदेश की अपील उसी न्यायालय में होती है, जिस न्यायालय में उस न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील होती हैं, इन सब तर्क और न्याय पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया है, वह विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) विधान अनुसार अगर न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं था तो कलेक्टर की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापस करना थी, उसे खारिज किया जाना चाहिये । इस वैधानिक प्रश्न पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया है वह विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) मौजूदा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को विधिवत् कारणा बताओ सूचना-पत्र भी नहीं दिया गया । कारण बताओ सूचना-पत्र में मूल्य का कोई आधार नहीं बताया गया है ना ही सर्वे नं. का कोई उल्लेख किया गया है तथा ना ही मिट्टी व मुरम की मात्रा स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है । ऐसा अपूर्ण सूचना-पत्र प्राथमिक दृष्टि में ही निरस्ती योग्य था किन्तु इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई विचार नहीं किया हैं । जबकि विधान अनुसार कारण बताओ सूचना-पत्र में विस्तृत उल्लेख होना चाहिये सर्वे नम्बर, खनिज की मात्रा, खनिज का तुलनात्मक मूल्य तथा सीमांकन अवैध उत्खन्नकर्ता की उपस्थिति में किया जाना चाहिये, दिये गये सूचना-पत्र में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है ऐसे अवैध सूचना-पत्र के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1983 आर.एन. 424, 1980 आर.एन. 10293, 1976 आर.एन. 453, 1976 आर.एन. 434 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(6) मौजूदा प्रकरण में खनिज निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा उस रिपोर्ट में जो दिनांक का उल्लेख किया गया है वह दिनांक भी गलत उल्लेखित किया है। उक्त दिनांक को खनिज निरीक्षक ना तो मौके पर गये एवं ना ही उनके द्वारा कोई जांच की गई तथा ना ही आवेदक या उसके कर्मचारी द्वारा अवैध उत्खन्न कार्य करते हुए देखा गया है । कथित खनिज निरीक्षक द्वारा जो पंचनामा बनाया गया है उसमें भी

अवैध खनिज की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है तथा रोड़ पर एकत्रीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। रोड़ निर्माण में अगर कोई एकत्रित खनिज रखा होता है तो वह अवैध उत्खन्न की परिभाषा में नहीं आता है जब रिपोर्ट में ही सर्वे नंबर का उल्लेख नहीं है तो पंचनामे पर किस आधार पर उल्लेख किया गया है यह अपने आप में शंकास्पद है। पंचनामे में यह उल्लेख किया है कि अवैध उत्खन्न से जन एवं पशु हानि संभावित है व आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो गया है। इस संबंध में भी खनिज निरीक्षक के कोई बयान नहीं लिये गये। कथित बनाया गया पंचनामा भी कल्पना के आधार पर है निरस्ती योग्य है। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

(7) प्रकरण में जो अनावेदक की साक्ष्य आई है वह साक्ष्य भी अविश्वसनीय है। शासन की ओर स पंचनामा साक्षी मुकेश राव, उस्मान, शेखर पटेल एवं कुदरत पटेल के कथन हुए हैं। इन साक्षियों ने अपने कथन में कहा है कि उनके सामने वादग्रस्त भूमि पर कोई पंचनामा नहीं बनाया गया है उनको डराकर खेत पर सड़क पर जाकर हस्ताक्षर करवाये लिये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमसे किस बात के हस्ताक्षर करवाये इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है हमसे तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। कूटपरीक्षण में भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अवैध उत्खन्न का स्थान देखा है। कलेक्टर के यहां से रिमांड आदेश के पालन में खनिज निरीक्षक के भी कोई कथन नहीं हुए हैं ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं था। इस आधार पर आदेश ही पारित नहीं किया जा सकता है। संहिता की धारा 247 (7) के अन्तर्गत अवैध उत्खन्नन सिद्ध करने का भार शासन पर होता है शासन को शंका से परे अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिये जो शासन नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति में पारित किये गये आदेश निरस्ती योग्य थे, जिसे निरस्त नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है। इस तर्क के समर्थन में 1976 आर.एन. 453, 1962 आर.एन. 649, 1996 आर.एन. 365, 1999 आर.एन. 356 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

(8) आवेदक द्वारा कभी भी किसी भी शासकीय भूमि पर से कोई अवैध कार्य नहीं किया गया तथा ना ही किसी प्रकार से कोई अवैध उत्खन्न किया गया है। यह तथ्य आवेदक द्वारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। प्रभारी खनिज निरीक्षक ने कल्पना के आधार पर बिना किसी आधार के एकपक्षीय रूप से प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो संहिता की धारा 247(7) के नियम व प्रावधानों के विपरीत है, इसलिये

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


आवेदक को दिया गया कारण बताओं सूचना निरस्त किये जाने योग्य है। प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदन बनाया गया है उस प्रतिवेदन के साक्षियों के कथन भी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हुये, जिनके कथन हुये हैं उन्होंने रिपोर्ट एवं पंचनामा उनके समक्ष नहीं बनाया गया है। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बगैर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है।


(9) खनिज निरीक्षक द्वारा न तो कभी मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया है ना ही पंचों के समक्ष कोई नप्ती की गई है। खनिज निरीक्षक के कथन से ही स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा गडडे का कोई माप नहीं किया गया है, ना ही सीमांकन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रभारी खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है वह गलत है। खनिज निरीक्षक द्वारा अपने पंचनामों और कथन में मौके पर खनिज अधिकारी की उपस्थिति का पंचनामों में उल्लेख किया है किन्तु पंचनामों पर खनिज अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। खनिज अधिकारी के कथन अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हुये हैं व पंचनामा भी सिद्ध नहीं हुआ है।

(10) प्रभारी खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में एवं पंचनामों में मुकेश पिता शंकरराव को अनावेदक आपरेटर बताकर प्राकलन मशीन मौके पर जप्त करने का उल्लेख किया है, जबकि मौके पर कोई मशीन जप्त नहीं हुई है तथा मुकेश नाम का कोई व्यक्ति आवेदक के यहाँ नियोजन में नहीं है तथा ना ही आवेदक उसे जानता है। इस प्रकार असत्य रिपोर्ट तैयार कर फर्जी अँगूठा निशानी लगाकर प्रभारी खनिज निरीक्षक ने कार्यवाही की है।

(11) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जबाव प्रस्तुत किया गया था तथा उस जबाव में अवैध उत्खनन करने से स्पष्ट मना किया है तथा समर्थन में अपनी स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है। आवेदक की साक्ष्य अखंडनीय साक्ष्य है इसको नहीं मानने का कोई कारण नहीं है ऐसी अखंडनीय साक्ष्य के विपरीत जाकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

(12) प्रभारी खनिज निरीक्षक एवं साक्षी ने आवेदक को कभी भी अवैध उत्खनन करते नहीं देखा है तथा स्थल निरीक्षण में उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा भी आवेदक को या उसके कर्मचारी को मौके पर उपस्थित नहीं देखा है उनके द्वारा कोई साक्ष्य भी नहीं दी गई है जबकि विधान अनुसार संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही दण्डात्मक स्वरूप की होती है इसे शंका से परे सिद्ध किया जाना चाहिये। इस तर्क के





समर्थन में 1996 आरएन 365, 1994 आरएन 241 एवं 1979 आरएन 579 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(13) संहिता धारा 247(7) में यह अनिवार्य प्रावधान है कि स्थल निरीक्षण अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिये उत्खनन का दिनांक व मात्रा उल्लेखित होना चाहिये । निर्धारित मापदण्डों का उल्लेख करते हुये मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिये, जो नहीं किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 1983 आरएन 425, 1980 आरएन 293 एवं 1976 आरएन 434 व 453 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(14) खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कही पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि खनिज कितनी सी.बी.आर. का था, मिट्टी कितने सी.बी.आर. की थी, कितनी मात्रा में मिट्टी थी कितनी मात्रा में मुरम था ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है। कल्पना के आधार पर मूल्यांकन कर जो प्रतिवेदन खनिज निरीक्षक ने दिया है वह विधान के विपरीत था जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदक को जो अनुबंध किया था वह मिट्टी कार्य के संबंध में ही किया था तथा प्रभारी खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यपालन यंत्रों से जानकारी चाही गई थी। जो जानकारी दी गई उसमें उल्लेख किया है कि अनावेदक द्वारा रोड में मिट्टी का ही कार्य किया गया है तथा मिट्टी की जाँच की गई थी मिट्टी 12 सी.बी.आर. से कम की थी जिस पर रायल्टी देय नहीं है । मध्यप्रदेश राज्य शासन के सर्कुलर क्रमांक एफ-19-39/2002/12/1 दिनांक 14-8-2002 के अनुसार 12 सी.बी.आर. से कम की मिट्टी पर कोई रायल्टी देय नहीं है तथा शासकीय निर्माण में ली गई मिट्टी पर अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 1986 आरएन 261, 1988 आरएन 64 व 1981 एमपी वीकली नोट(2) नोट 247 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(15) संहिता की धारा 247 (7) के अन्तर्गत जाँच आवश्यक है । धारा 30 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी से वादग्रस्त स्थल की जाँच करवाना अनिवार्य है या तो स्वयं या किसी राजस्व अधिकारी को उसकी जाँच करवाई जावे । मौजूदा प्रकरण में प्रभारी खनिज निरीक्षक राजस्व अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है। अगर राजस्व अधिकारी द्वारा कोई जाँच नहीं की गई है तथा उससे अन्य व्यक्ति की जाँच है तो वह जाँच अवैध है । संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत खनिज निरीक्षक राजस्व अधिकारी नहीं है।

(16) अवैध उत्खनन के प्रकरण में गंभीरता से जाँच होना चाहिये । जाँच की सूचना अवैध उत्खननकर्ता को दी जाना चाहिये । मौजूदा प्रकरण में न तो जाँच रिपोर्ट ना ही

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पंचनामा कुछ भी दस्तावेज साक्ष्य से प्रदर्शित नहीं हुये है । साक्ष्य विधान के अन्तर्गत अगर दस्तावेज साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है तो ऐसे दस्तावेजों का साक्ष्यिक मूल्य कुछ नहीं होता है तथा ऐसे दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2005 आरएन 107, 1996 आरएन 365, 1999 आरएन 356, 1990 आरएन 178 व 1981 आरएन 449 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो कारण बताओं सूचना पत्र आवेदक को दिया गया है, उसमें अवैध उत्खनित खनिज की सयल्टी अथवा बाजार मूल्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही शास्ति आरोपित करने के आधार का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में 1980 आर.एन. 293 रामपाल विरुद्ध म0प्र0राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 247(7) कारण बताओ सूचना पत्र देना आवश्यक है- खान का नाम, उत्खनित माल की मात्रा तथा खनिज का बाजार मूल्य देना आवश्यक है - बिना ऐसी जानकारी के कारण बताओं सूचना पत्र अवैध है ।"

इसी प्रकार 1979 आर.एन. 90 एम.एस.जे. (इंजीनियर्स) एण्ड कं0 विरुद्ध म0प्र0राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 247(7) कारण बताओ सूचना पत्र में उत्खनन किये जाने का स्थान, उत्खनन किये गये खनिज की मात्रा तथा शास्ति अधिरोपित करने के आधार स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र ही विधिवत् नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तन उपरांत प्राप्त होने पर केवल अंतरसिंह एवं आवेदक के कथन अंकित किये गये हैं, जबकि पंचनामा में 11 गवाहों के हस्ताक्षर हैं । खनिज निरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी खनिज निरीक्षक के कथन नहीं किये गये हैं । केवल एक साक्षी के कथन के आधार पर मात्र इस आधार पर शास्ति अधिरोपित की गई है कि आवेदक ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका है कि उसके द्वारा अवैध उत्खनन नहीं किया गया है, जबकि चूंकि शास्ति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा रही थी तब अवैध उत्खनन आवेदक द्वारा किया जाना सिद्ध करने का प्रमाण/भार अनुविभागीय अधिकारी पर था । इस संबंध

में 1997 आर.एन. 174 संतोष राय विरुद्ध म0प्र0राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 247(7) - खदानों से अवैध उत्खनन का मामला - सरकार द्वारा पूर्णतः स्थापित किया जाना होता है।"

इसी प्रकार 1996 आर.एन. 365 हरीशंकर तिवारी विरुद्ध म0प्र0राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 247 - खनिज अवैध रूप से निकालना - उपबंध दण्डक प्रकृति का है - पुक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये - मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं किया जा सकता।"

इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत 2005 आर.एन.107 सुरेन्द्र सिंह एवं एक अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य में भी प्रतिपादित किया गया है। अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध हो जाता है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि उसके द्वारा मिट्टी का उत्खनन कर उपयोग किया गया है और पुष्टि में कार्यपालन यंत्री का पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विवेचना कर निष्कर्ष नहीं निकाला गया। इस न्यायालय में आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा सड़क निर्माण में मिट्टी का उपयोग किया गया है और शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-19-39/2002/12/1 दिनांक 14-8-2002 के अनुसार मिट्टी पर रायल्टी देय नहीं है। अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता थी कि अनुविभागीय अधिकारी सूक्ष्म जांच करते कि वास्तव में आवेदक द्वारा मुरम का उत्खनन किया गया है, अथवा मिट्टी का। उक्त कार्यवाही नहीं किये जाने से भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह भी आधार लिया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा शासकीय उपयोग के लिये उत्खनन किया गया है। अतः यह मान भी लिया जाये कि उसके द्वारा मुरम का उत्खनन किया गया है, तब भी रायल्टी देय नहीं है। इस संबंध में 1981 एमपीवीकली(दो) नोट नम्बर 247 खुशीराम विरुद्ध म0प्र0राज्य जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"Mineral extracted used for Government construction - Royalty not payable - technicalities not observed - claim cannot be rejected - royalty."

अतः इस बिन्दु पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में विचार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहाँ तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा उन्हें अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर अपील निरस्त की है। इस संबंध में संहिता की धारा 44(1) (ख) में स्पष्ट प्रावधानित है कि "उस दशा में जबकि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी ने पारित किया है, चाहे उसमें कलेक्टर की शक्तियाँ विनिहित हों या नहीं- कलेक्टर को होगी।" स्पष्ट है कि कलेक्टर को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार था। अतः कलेक्टर का आदेश विधिक प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। चूँकि अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित जाये कि अनुविभागीय अधिकारी उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये उनकी ओर से उठाये गये आधारों को विचार क्षेत्र में लेंते हुये प्रस्तुत न्याय दृष्टियों के प्रकाश में विधि अनुसार विस्तृत आदेश पारित करें।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 06-03-2017, कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 30-05-2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 29-04-2013 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,
ग्वालियर